कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

पत्रांक 2214 /ओबरा/33 दिनांक, 17-04- 2023.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाईन के निर्माण में विभिन्न वन प्रभाग में प्रभावित कुल 319.28हे0 वन भूमि का लीज नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/TRANS/32650/2018)

सन्दर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक–962/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रांस/32650/2018 दिनांक–12.09.2022. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग रेनुकूट का पत्रांक–2900/ रेनुकूट/15–7 दिनांक–27.02.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग सोनभद्र का पत्रांक–1486/सोनभद्र/33 दिनांक–20.03.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर का पत्रांक–2899/मीरजापुर/15 दिनांक–14.03.2023 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय का पत्रांक–2159/33–1 दिनांक–20.03.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में प्रभावित होने वाला वन भूमि रेनुकूट वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर एवं मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत पड़ता है, भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः–

क0सं0	प्रभाग का नाम	प्रस्ताव से सम्बन्धित भूमि का क्षेत्रफल (हे0में)
1	रेनुकूट वन प्रभाग	98.28
2	ओबरा वन प्रभाग	113.048
3	सोनभद्र वन प्रभाग	15.79
4	मीरजापुर वन प्रभाग	37.51
5	कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर	54.652
	योगः–	**319.28हे0**

उपरोक्त वन भूमि का लीज नवीनीकरण का रेनुकूट, ओबरा, सोनभद्र , मीरजापुर व कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर का समेकित प्रस्ताव उचित माध्यम से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्रांक–962/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ ट्रांस/32650/2018 दिनांक–12.09.2022 द्वारा प्रभागवार कमियों का इंगित करते हुए, इंगित कमियों का निराकरण के पश्चात पूर्ण संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया गया है। जिसके कम में प्रस्तावक विभाग तथा रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2900/ रेनुकूट/15–7 दिनांक–27.02.2023, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय का पत्रांक–1486/सोनभद्र/33 दिनांक–20.03.2023, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

के कार्यालय का पत्रांक–2899 / मीरजापुर / 15 दिनांक–14.03.2023 तथा कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्र संख्या–2159 / 33–1 दिनांक–20.03.2023 द्वारा मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी के कार्यालय द्वारा लगायी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण करते हुए, सूचना / रिपोर्ट इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः प्रस्तावक विभाग तथा सम्बन्धित वन प्रभागो द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं के अनुसार बिन्दुवार आपत्ति का निराकण निम्नानुसार है:–

	रेनुकूट वन प्रभाग	
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Gio Referenced Digital Map. SoI Toposheet, 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाईल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2900 / रेनुकूट / 15–7 दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त सचिव, उ0प्र0, शासन वन अनुभाग–2 के आदेश संख्या–जी0आई0 444 / 14–14– 2–93– 707 / 89 लखनऊ दिनांक–08 / 23.02.1994 में अंकित शर्त संख्या 8 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 319.28हे0 भूमि डेरापुर तहसील अन्तर्गत सामाजिक वानिकी वन प्रभाग कानपुर में ग्राम सभा की भूमि लैण्ड बैंक के अन्तर्गत वन विभाग को प्राप्त हो चुकी है। नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के सम्बन्ध में जो भी शर्ते अधिरोपित की जायेगी, उसे अनुपालन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। वचनबद्धता प्रमाण पत्र की प्रति ऑनलाईन भाग–2 में यथास्थान अपलोड कराया गया है।
2	पारेषण लाईन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2900 / रेनुकूट / 15–7 दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत परोषण लाईन वर्ष 1994 में निर्मित है एवं पारेषण लाईन के नीचे पौधो का वृक्षारोपण पहले से ही किया जा चुका है जिसमें पुनः वृक्षारोपण करनें की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न कराते हुए, आन लाईन भाग–2 में यथास्थान अपलोड करा दिया गया है।
3	प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑन लाईन भाग 2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2900 / रेनुकूट / 15–7 दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करते हुए आन लाईन भाग–2 में पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करा दिया गया

		है।
4	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.01.2022 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना आन लाईन भाग–2 के Additional Information Detail से डिलिट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2900 /रेनुकूट/15–7 दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 400 के0वी0 अनपरा वाराणसी डबल सर्किल विद्युत परेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197/91–एफ0सी0, दिनांक– 01.11.1993 द्वारा गैरवानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को हस्तान्तरित किया गया था, जिसमें कोई समय सीमा वर्णित नहीं है। भारत सरकार के उक्त पत्र के कम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0 444/14–2–93–707 /89 दिनांक–08/23 फरवरी 1994 में उपरोक्त विषयक परियोजना 20 वर्षो के लिए लीज पर हस्तान्तरित किये जाने का उल्लेख किया गया है। संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या 03 में निम्नानुसार उल्लिखित है :– ''उक्त भूमि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी।'' तत्कम में वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात तत्काल प्रभाव से नवीनीकरण प्रस्ताव प्राप्त करते हुए ओवरा वन प्रभाग के कार्यालय द्वारा उक्त वन भूमि के लीज नवीनीकरण का समेकित प्रस्ताव तैयार कर उच्च स्तर पर प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने तथा समय–समय पर जारी गाईडलाईन संज्ञानित न होने के कारण लीज नवीनीकरण प्रकिया में समय लग रहा है। इसलिए उक्त परियोजना के लीज नवीनीकरण प्रकिया में प्रकियात्मक विलम्ब हुआ । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि ''वर्ष 2014 में लीज समाप्ति के पश्चात भी इस कार्यालय द्वारा उक्त भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उक्त भूमि का उपयोग किये जाने को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है जबकि भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाईड लाईन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु

		अनुमति से सम्बन्धित है न की पूर्व मे दिये गये अनुमति से क्यो कि उक्त परियोजना उक्त वन भूमि पर वर्ष 1994 से बनी है, जिसे वर्ष 2014 में लीज अवधि समाप्त होने के पश्चात उक्त वन भूमि से हटाया नहीं जा सकता है। उ0प्र0रा0वि0प0 (वर्तमान में उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0) को उक्त वन भूमि के उपयोग की आवश्यकता अभी भी है, जिस कारण उक्त वन भूमि को उ0प्र0 सरकार से पुनः लीज पर लेने तथा पट्टा कराने हेतु लीज नवीनीकरण प्रस्ताव को सम्बन्धित वन प्रभाग में वर्ष 2014 में जमा कर दिया गया था। लीज समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) सम्बन्धित वन प्रभागों से मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट भी ससमय जमा किया जाता रहा है"। उपरोक्त वर्णित तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत परियोजना के लीज समाप्ति होने के उपरान्त वन भूमि के उपयोग को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन न मानते हुए दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाना न्यायोचित होगा।" अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–08–197 /91–एफ0सी0, दिनांक–01.11.1993 द्वारा तत्समय में जारी अनुमति में समय–सीमा नहीं थी तथा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित लीज अवधि के समाप्ति वर्ष 2014 के पश्चात भी प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किये जाने के फलस्वरूप (वर्ष 2014 में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल दर से) मांग पत्र के अनुसार लीज रेन्ट का भुगतान किया जा रहा है। ऐसी दशा में लीज अवधि के उपरान्त भी प्रस्तावक विभाग द्वारा भूमि का उपयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, हार्ड कापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के क्रमांक 6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के क्रमांक 12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जो कि	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2900 / रेनुकूट / 15–7 दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट

	त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्ड कापी भाग–2 तथा आन लाईन भाग 2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आन लाईन भाग–2 के पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्ड कापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।	व भाग–2 की हार्ड कापी प्रस्ताव मे संलग्न कराते हुए ऑनलाइन भाग–2 मे यथास्थान अपलोड करा दिया गया है ।
6	दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2900 /रेनुकूट/15–7 दिनांक–27.02.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु संख्या– 4 मे दिये गये उत्तर के क्रम मे वचनबद्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ।
	ओबरा वन प्रभाग	
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दूगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Gio Referenced Digital Map. Soi Toposheet, 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाईल संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में यथास्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–334/ दिनांक–27.02.2023 में उल्लेख किया गया है कि बिन्दु संख्या–1 एवं 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के कम में अवगत कराना है कि उक्त लाईन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नहीं किया गया है और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है"।
2	पारेषण लाईन के नीचे रिक्त स्थानों में बौने मुख्यतः औषधीय पौधो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं किया गया है। अतः संलग्न कर ऑनलाईन भाग–2 में में अपलोड करें।	
3	प्रस्ताव में संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरों के अनुसार है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक– 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा ऑन लाईन भाग 2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपलोड करें।	लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.01.2022 के अनुसार संशोधित कर दी गयी है। जिसे प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑन लाईन भाग–2 से पूर्व का त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपडेट कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.01.2022 के अनुसार नहीं है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना आन लाईन भाग–2 के	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक–334/ दिनांक–27.02.2023 में उल्लेख किया गया है कि 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु लगभग 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/197/91– एफ0सी, दिनांक 01.11.

	Additional Information Detail से डिलिट कर अपलोड करें।	1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0प्रा0 ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नही दी गयी है एवं इनके कम में उप सचिव, उ0प्र0 षासन के आदेश संख्या–जी0आई0/444/दिनांक 14.02.1993– 707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिशद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या–3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। उक्त भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिशद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी"। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0–II (वा) दिनांक –14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेशित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पष्ट गाइड लाइन संज्ञानित न होने के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्लघंन से सम्बन्धित गाईड लाइन दिनांक 29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व में दिये गये अनुमति से। उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0 –II (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात् भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाय।
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट, हार्ड कापी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमांक 6 तथा ऑनलाईन भाग–2 के कमांक 12 में उल्लंघन न किये जाने का उल्लेख है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट, हार्ड कापी भाग–2 तथा आन लाईन भाग 2 में उल्लंघन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आन लाईन भाग–2 के पूर्व का त्रुटिपूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्ड कापी भाग–2 डिलिट कर अपलोड करें।	
6	दण्डात्मक एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है।	

	सोनभद्र वन प्रभाग	
1	प्रस्ताव मे प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–1486/सोनभद्र/33 दिनांक–20.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या–333 दिनांक–27.02.2023 में उल्लिख किया गया है कि–"बिन्दु संख्या–1 एवं 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के कम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया है और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है"।
2	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानो मे बौने मुख्यतः औषधीय पौधो का वृक्षारोण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें	
3	प्रस्ताव मे संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरो के अनुसार है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण लागत लाभ विष्लेशण को डिलीट कर संषोधित अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–1486/सोनभद्र/33 दिनांक–20.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.01.2022 के अनुसार संशोधित कर दी गयी है। जिसे प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑन लाईन भाग–2 से पूर्व का ,त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपडेट कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दंडात्मक एन0पी0वी0 गणना मे दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नही है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 के दर के अनुसार दंडात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना आनलाइन भाग–2 के Addition information detail से डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, सोनभद्र वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–1486/सोनभद्र/33 दिनांक–20.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि बिन्दु संख्या–4,5,6 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या–333 दिनांक–20.03.2023 में उल्लिखित किया गया है कि–400 के0वी0 अनपरा– वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाइन के निर्माण हेतु लगभग 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/ 197/91–एफ0सी, दिनांक 01.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0प्रा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नही दी गयी है एवं इनके कम में उप सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0/444/दिनांक 14.02.1993–707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0 का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। संयुक्त सचिव, उ0प्र0
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमाक–6 तथा आनलाइन भाग–2 के कमांक–12 में उल्लघंन न किये जाने का उल्लेख है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कापी भाग–2 तथा आनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीटकर अपलोड	

	करें।	शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या–3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है।
6	दंडात्मक एनपी0वी0 जमा किये जाने की वचन बद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नही की गई है।	उक्त भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी''। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0–II (वा) दिनांक– 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेषित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रक्रिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पष्ट गाइड लाइन संज्ञानित न होने के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित गाईड लाइन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व में दिये गये अनुमति से। उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नही किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0 –II (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात् भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाय।
	मीरजापुर वन प्रभाग	
1	प्रस्ताव मे प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2899/मीरजापुर/15 दिनांक–14.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या–332 दिनांक–27.02.2023 में उल्लिख किया गया है कि–''बिन्दु संख्या–1 एवं 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के कम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया है और न ही

2	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानो मे बौने मुख्यतः औषधीय पौधो का वृक्षारोण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें	किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है''।
3	प्रस्ताव मे संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरो के अनुसार है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण लागत लाभ विष्लेशण को डिलीट कर संषोधित अपलोड करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2899/मीरजापुर/15 दिनांक–14.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक–06.01.2022 के अनुसार संशाधित कर दी गयी है। जिसे प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑन लाईन भाग–2 से पूर्व का ,त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपडेट कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दंडात्मक एन0पी0वी0 गणना मे दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.2022 के अनुसार नही है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 के दर के अनुसार दंडात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना आनलाइन भाग–2 के Addition information detail से डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय के पत्रांक–2899/मीरजापुर/15 दिनांक–14.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या–332 दिनांक–27.02.2023 में उल्लिख किया गया है कि बिन्दु संख्या–4,5,6 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या 333 दिनांक–20.03.2023 में उल्लिखित किया गया है कि– 400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु लगभग 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/197/91– एफ0सी, दिनांक 01.11.1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0प्रा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नही दी गयी है एवं इनके कम में उप सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या– जी0आई0 /444/दिनांक 14.02.1993– 707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विद्युत पारेशण लाइन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिशद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या–3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। उक्त भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी''। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमाक–6 तथा आनलाइन भाग–2 के कमांक–12 में उल्लघंन न किये जाने का उल्लेख है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कापी भाग–2 तथा आनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीटकर अपलोड करें।	
6	दंडात्मक एनपी0वी0 जमा किये जाने की वचन बद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नही की गई है।	

		अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0–II (वा) दिनांक –14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेशित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पष्ट गाइड लाईन संज्ञानित न होने के कारण प्रक्रिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्लघंन से सम्बन्धित गाईड लाइन दिनांक 29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व में दिये गये अनुमति से। उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नही किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0 –II (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात् भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाय।
	कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर	
1	प्रस्ताव मे प्रभावित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने से सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Sol Toposheet, 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाइल संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में यथा स्थान पर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2159/33–1/ दिनांक–20.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या–335 दिनांक–27.02.2023 में उल्लिख किया गया है कि–"बिन्दु संख्या–1 एवं 2 जो कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण से सम्बन्धित है, के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त लाइन के निर्माण के बाद से वर्तमान तक कोई नया निर्माण कार्य नही किया गया है और न ही किया जाना है। जिस कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण की देयता नही बनती है"।
2	पारेषण लाइन के नीचे रिक्त स्थानो मे बौने मुख्यतः औषधीय पौधो का वृक्षारोण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नही किया गया है। अतः संलग्नकर आनलाइन भाग–2 में अपलोड करें	
3	प्रस्ताव मे संलग्न लागत लाभ विश्लेषण में एन0पी0वी0 की दर पूर्व की दरो के अनुसार है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01.	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2159/33–1/दिनांक–20.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि लागत लाभ विश्लेषण में

	2022 के अनुसार संशोधित एन0पी0वी0 की दर के अनुसार लागत लाभ विश्लेषण प्रस्ताव में संलग्न करें तथा आनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण लागत लाभ विष्लेशण को डिलीट कर संषोधित अपलोड करें ।	एन0पी0वी0 की दर भारत सरकार के पत्र दिनांक–06. 01.2022 के अनुसार संशाधित कर दी गयी है। जिसे प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑन लाईन भाग–2 से पूर्व का ,त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण को डिलिट कर संशोधित अपडेट कर दिया गया है।
4	प्रस्ताव में दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न है किन्तु दंडात्मक एन0पी0वी0 गणना मे दर भारत सरकार के पत्र दिनांक 06.01. 2022 के अनुसार नही है। अतः संशोधित एन0पी0वी0 के दर के अनुसार दंडात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न करें तथा पुरानी गणना आनलाइन भाग–2 के Addition information detail से डिलीट कर अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2159/33–1/ दिनांक–20.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या–335 दिनांक–27.02.2023 में उल्लिख किया गया है कि बिन्दु संख्या–4,5,6 के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग के पत्र संख्या–333 दिनांक– 20.03.2023 में उल्लिखित किया गया है कि–400 के0वी0 अनपरा–वाराणसी डबल सर्किट विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु लगभग 319.28 हे0 वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–8बी/197/91 –एफ0सी, दिनांक–01.11. 1993 द्वारा गैर वानिकी कार्य हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0प्रा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। जिसमें कोई समय सीमा नही दी गयी है एवं इनके कम में उप सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या–जी0आई0/444/दिनांक–14.02.1993–707/89 दिनांक 08/23 फरवरी 1994 द्वारा उक्त विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 319.28 हे0 वन भूमि 20 वर्षो हेतु उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) को हस्तान्तरित किया गया था। संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश पत्र के बिन्दु संख्या–3 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है। उक्त भूमि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0) के उपयोग में पट्टा अवधि के अन्दर तब तक बनी रहेगी जब तक कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (वर्तमान में उ0प्र0 पा0ट्रा0का0लि0) को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता बनी रहेगी''। लीज अवधि 2014 को समाप्त हो गया था। लीज समाप्त होने के पूर्व ही अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक– 320/वि0प्रे0खं0–II (वा) दिनांक– 14.03. 2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेशित किया गया। लीज नवीनीकरण प्रकिया जटिल होने के कारण तथा कोई स्पष्ट गाइड लाईन संज्ञानित न होने के कारण प्रकिया में समय लग रहा है। भारत सरकार की उल्लंघन से सम्बन्धित
5	प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कॉपी भाग–2 (हिन्दी वर्जन) के कमाक–6 तथा आनलाइन भाग–2 के कमांक–12 में उल्लघंन न किये जाने का उल्लेख है जो कि त्रुटिपूर्ण है। अतः स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट हार्ड कापी भाग–2 तथा आनलाइन भाग–2 में उल्लंधन की सही रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए सम्बन्धित अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग–2 से पूर्व का त्रुटि पूर्ण स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट तथा हार्डकापी भाग–2 डिलीटकर अपलोड करें।	
6	दंडात्मक एनपी0वी0 जमा किये जाने की वचन बद्धता प्रस्ताव में पुनः संलग्न नही की गई है।	

		गाईड लाईन दिनांक–29.01.2018 नये वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति से सम्बन्धित है न कि पूर्व में दिये गये अनुमति से। उक्त परियोजना में नयी वन भूमि का उपयोग नहीं किया गया है तथा भारत सरकार द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति में कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से लीज समाप्त से पूर्व ही प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक–320/वि0प्रे0खं0 –II (वा) दिनांक 14.03.2014 के द्वारा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग में प्रेषित किया गया तथा लीज समाप्त होने के पश्चात् भी लीज रेंट का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित नये सर्किल रेट से किया जा रहा है। अतः उक्त वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु उपयोग किया जाना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न माना जाये तथा दण्डात्मक एन0पी0वी0 न लगाया जाय।
7	मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव (पश्चिमी क्षेत्र) कानपुर की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव में पुनः संलग्न नहीं की गयी है। अतः संलग्न कर आन लाईन भाग–2 में अपलोड करें।	इस बिन्दु के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के कार्यालय के पत्रांक–2159/33–1/ दिनांक–20.03.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर दी गयी है।

अतः आपको रेनुकूट वन प्रभाग, सोनभद्र वन प्रभाग, ओबरा वन प्रभाग, मीरजापुर वन प्रभाग एवं कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत पड़ने वाले वन भूमि का संशोधित समेकित प्रस्ताव ~~चार~~ ~~चार~~ तीन प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समेकित प्रस्ताव की तीन प्रति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

संख्या– 2214 **अ/समदिनांकित**

प्रतिलिपि–प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट, सोनभद्र, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर एवं मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अधिशासी अभियन्ता, वि0प्रे0ख0द्वितीय, एस–14/74ए–2 अन्धरा का पुल, वाराणसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुराग प्रियदर्शी)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।

Received Kpal JE 17-04-2023 9506966712 O/c

F:\New Folder\AM-7.docx